रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 जून, 1998/19 ज्येष्ठ, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जून, 1998

संख्या एल०एल०आर०(राजभाषा)बी०(16)-7/98.—"दि हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एण्ड गुडज टैक्सेशन (अमैन्ड-मेन्ट एण्ड एक्सटैंशन) ऐक्ट, 1968 (1968 का 9)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के तारीख 2-6-1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है। और यह

हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन और विस्तारण) अधिनियम, 1968

(1968 का 9)

(7 मई, 1968 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमत)

प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्र में यथा प्रवृत्त हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) का संशोधन करने और इस प्रकार संशोधित उक्त अधिनियम का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में अन्तरित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अठाहरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन और विस्तारण) अधिनियम, 1968 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "बारहवें भाग" शब्दों के स्थान पर "दसवें भाग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन।

3. धारा 6 की उप-धाराओं (2) और (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 13-क का प्रति-स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"13-क. **अनुज्ञप्ति का परिबद्ध किया जाना.**—(1) विहित प्राधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर या कंडक्टर ने इस अधिनियम के उपबन्धों या तदधीन बनाए गए नियमों या तदधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन किया है, ऐसे ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति या उसके कब्जे में गाड़ी से सम्बन्धित किसी अन्य दस्तावेज को, जो विहित प्राधिकारी की राय में, धारा 14-क के अधीन किसी कार्यवाही के लिए, उपयोगी या सुसंगत होंग अभिगृहीत कर सकेगा और उसे सम्बन्धित आबकारी और कराधान अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज अभिगृहीत करने वाला विहित प्राधिकारी, अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति को अस्थायी अभिस्वीकृति देगा और एसी अभिस्वीकृति का, यथास्थिति, ड्राइवर या कंडक्टर को अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के लौटाए जाने तक, वही प्रभाव होगा मानो कि उसका अभिग्रहण नहीं किया गया हो ।"

नई धारा 14-क और 14-ख का अन्त:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"**14-क. शास्ति.**—(1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों या तद्धीन किए गए आदेश या निदेश का उल्लंघन करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है, यदि ऐसे उल्लंघन या असफलता के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है तो वह पांच सौ रुपए से अनधिक की शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी होगा।

(2) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया आबकारी और कराधान अधिकारी की पंक्ति का कोई अधिकारी, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

14-ख. चैक पोस्टों और बैरियरों की स्थापना.—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर अपवंचन रोकने के लिए राज्य में किसी भी स्थान पर, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, चैक पोस्टें स्थापित और बैरियरों का परिनिर्माण कर सकेगी।"

धारा 15 का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"**15. अपीलें.**—(1) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी मूल आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश पारित किए जाने के साठ दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जैसी अपील प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से अनुज्ञात करे, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी प्राधिकारी को होगी:

परन्तु जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि निर्धारित कर की रकम या अधिरोपित शास्ति संदत्त कर दी गई है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि ऐसा प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कोई स्वामी ऐसा संदाय करने में असमर्थ है, कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसा संदाय किए बिना भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा।"

धारा 17 और 18 का लोप।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 का लोप किया जाएगा।

धारा 22 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में—

(i) खण्ड (घ) और खण्ड (च) के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(घ) धारा 9 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र देने की रीति और कर के संदाय की रीति तथा इस अधिनियम के अधीन शास्ति निर्धारित और अधिरोपित करने की रीति;

(च) वह रीति, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपीलें की जा सकेंगी" ;

(ii) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(झ) वह रीति जिसमें कर के अपवंचन को रोकने के लिए चैक पोस्ट और बैरियर स्थापित और परिनिर्मित किए जा सकेंगे ।"

विस्तार ।

9. इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम और बनाए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं और आदेश तथा जारी किए गए सभी निदेश और अनुदेश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उन राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त हैं जिनमें उक्त अधिनियम लागू हैं, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में अन्तरित राज्य क्षेत्रों में एतद्द्वारा विस्तारित किए जाते हैं और प्रवृत्त होंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

10. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़ गए राज्य क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब पैसेन्जरस एण्ड गुड्ज टैक्सेशन ऐक्ट, 1952 और तद्धीन बनाए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं और आदेश, जारी किए गए निदेश और अनुदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाए, निरसित हो जाएंगे :

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगा—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक-कार्यवाही या उपचार ;

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई धारा 9 द्वारा विस्तारित अधिनियम क अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि इस प्रकार विस्तारित अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा इसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

11. यदि अधिनियम के उपबन्धों, नियमों या आदेशों या अनुदेशों या निदेशों को जो अब उस राज्य क्षेत्र में विस्तारित किए गए हैं जिनमें वे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नहीं थे, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।